



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-10082026-275340
CG-MH-E-10082026-275340

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4218]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2026/श्रावण 16, 1948

No. 4218]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2026/SHRAVAN 16, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 7 अगस्त, 2026

का.आ. 4396(अ).— जबकि, भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 914 (ई), दिनांक 15 दिसंबर, 2025, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (II), रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए में प्रकाशित किया गया था, द्वारा केंद्र सरकार ने विशेष रेलवे परियोजना, गुजरात राज्य में जिला कच्छ अबडासा, भुज-नलिया आमान परिवर्तन परियोजना (101.25 कि.मी.) और नयी लाइन से वायोर तक विस्तार (24.65 कि.मी.) को भूमि अधिग्रहण परियोजना (पश्चिम रेलवे) के निष्पादन, रखरखाव और संचालन के प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषित किया था।

और, जबकि, उक्त अधिसूचना का सार दैनिक स्थानीय समाचार पत्र “कच्छ मित्र” (गुजराती), “यंग लीडर (हिंदी) & “द इंडियन एक्सप्रेस”(अंग्रेजी), 01 जनवरी, 2026 में उक्त अधिनियम की धारा 20 ए की उपधारा (4) के तहत प्रकाशित किया गया था, और चूंकि सक्षम प्राधिकारी को प्राप्त आपत्तियों पर विचार करके उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है और तदनुसार आदेश पारित किए गए हैं। और, जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (एक) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

अब, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर, और उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उप-धारा (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार अब यह घोषणा करती है कि अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि उपरोक्त उद्देश्य के लिए अधिग्रहण की जाएगी;

और आगे, उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार अब यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि सभी बंधनों से मुक्त पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार में होगी।

अनुसूची

विषय : विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् गुजरात राज्य में जिला कच्छ अबडासा, भुज-नलिया आमान परिवर्तन परियोजना (101.25 कि.मी.) और नयी लाइन से वायोर तक विस्तार (25 कि.मी.) के लिए, संरचना के साथ या बिना संरचना के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला: कच्छ

तालुका : भुज

क्र. स.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	भूमि मालिक / इच्छित व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	भुज शहर	535/2/ पैकी-1	निजी	खेती	2000	भद्रेश मोहनलाल शाह
		कुल ज़मीन का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)			2000	

[ई. फा. सं. - 609378-06]

एस. आर. प्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक – II

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th August, 2026

S.O. 4396(E).— whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, G.S.R. 914 (E), dated the 15th December, 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (II), of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the Purpose of execution, maintenance, and operation of the Special Railway Project namely, Bhuj Naliya Gauge Conversion extension up to Vayor New Line (24.65 KM) in District Kutch in the State of Gujarat;

And, whereas, the substance of the said notification was published in the daily newspapers namely the “Kutch Mitra” (Gujarati), “The Indian Express” (English), & “Yung Leader ” (Hindi) dated 01st January, 2026 under sub-section (4) of section 20A of the said Act and whereas, objections received were considered and rejected by the competent authority and accordingly, orders have been passed, and, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the District Kutch for Special Railway Project namely Bhuj Naliya Gauge Conversion extension up to Vayor New Line (24.65 KM) in District Kutch) in the State of Gujarat.

Name Of District: - Kutch Tanka: Bhuj

Sr. No.	Name of the village	Survey No.	Nature of Land	Nature of Land.	Area in Sqm.	Name of the land owner /interested persons
1	2	3	4	5	6	7
1	Bhuj City	535/2/ Paki/1	Private	Agriculture	2000	Bhadresh Mohanlal Shah
		Total land Area in Sqm			2000	

[E. F. No- 609378-06]

S R PRASAD, Chief Project Manager -II